संख्या 1060/उन्तीरा/05-2(6घोषणा)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिला अधिकारी,
नैनीताल।

पेयजल अनुभाग

देहरादून : दिनांक 28 मई, 2005

विषय : जनपद नैनीताल की डुंगरो-मुंगरो पम्पिंग पेयजल योजना के लिए वर्ष 2005-06 हेतु व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 166/अप्रैजल नैनीताल/ दिनांक 15.4.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल की डुंगरो-मुंगरों पम्पिंग पेयजल योजना लागत रू0 198.05 लाख (रू0 एक करोड़ अठानवे लाख पांच हजार मात्र) के आगणन के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 182.50 लाख (रू0 एक करोड़ बयासी लाख पचास हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में श्री राज्यपाल व्यय हेतु रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः 2

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लायी जाय।

(9) प्रश्नगत योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति पृथक से निर्गत की जायेगी।

(10) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(11) योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार नही होगा।

2. योजना की स्वीकृत लागत के सापेक्ष सेन्टेज चार्जेज किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक नही लिया जायेगा, यदि इससे अधिक सेन्टेज व्यय पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2006 तक सुनिश्चित कर लिया जाय। लागत के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि के पूर्ण रूप से व्यय एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

4. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तरांचल पेयजल निगम, नैनीताल के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार नैनीताल में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण के तुरन्त बाद बिल वाऊचर संख्या व दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता " के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 403/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 24 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या 1060/उन्तीस/05–2(6घोषणा)/2004 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तरांचल पेयजल निगम, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का आहरण सुनिश्चित करने के साथ ही संबंधित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गई कटौतियों के विवरण को नोट करने हेतु निर्देशित करें।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
8. अपर सचिव (घोषणा), मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तरांचल शासन।
9. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

2615/05

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव